E-Mail

प्रेषक,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सेवा में,

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, ग्रेड–1, कुक्कुट,
पशुपालन निदेशालय, लखनऊ।

संख्या 898 /सा0–1/एक्स–120(4)/ASCAD-Genral.2020-21 दिनांक: 17.12.2021

विषय:– पशु रोग नियंत्रण योजना (60 प्रति0 के0पो0) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021 22 में योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग किये जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पशु रोग नियंत्रण योजना (60 प्रति0 के0पो0) के कियान्वयन हेतु वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग के अनु0 सं0–15/83/81 में आवंटित धनराशि के आवंटन पत्रों का अवलोकन करें। जिसके द्वारा विभिन्न मानक मदों में योजना के कियान्वयन हेतु धनराशि आवंटित की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा कार्य योजना अनुमोदित की गयी है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार धनराशि के व्यय हेतु कार्य योजना की प्रति आपको सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

(A) Training Programme (100%)

(Rs. in Lac)

S.No.	Activities/Description	Physical Target	Financial Requirement	Central Share	State Share
A.	Training of Veterinarians (20 per Batch)	2	5.00	5.00	Nil
B.	Training of Para- Veterinarians (20 para-vets per batch)	2	3.00	3.00	Nil
c.	Workshop/Seminar	1	2.00	2.00	Nill
	TOTAL		10.00	10.00	-

(B) Surveillance, Monitoring and forecasting (60% : 40%)

(Rs. in Lac)

Sl.No.	Activities/Description	Physical Target	Financial Requirement	Central Share	State Share
A.	Disease surveillance, monitoring & publication of Bulletins:-				
1	Cost of publication of bulletin at state level.	3000 copies	3.00	1.80	1.20
	TOTAL		3.00	1.80	1.20

(C) Information and Communication Campaign (100%)

(Rs. in Lac)

S.No.	Activities/Description	Physical Target	Financial Requirement	Central Share	State Share
A.	**Information & Communication Campaign & community participation**				
(i)	Organization of block level awareness camps(Printing of posters. pamphlets. literature. publicity (organization of rallies. gosthies. campaigns including distribution of pamphlets. literature. publicity etc.) Endo parasitic control medicine and other medicine will be provided/distributed in this camp to farmers. (Rs. 5000 per Camps)	400 camps	20.00	20.00	NIL
(ii)	Organization of District level awareness camps(Printing of posters pamphlets literature. publicity (organization of rallies. gosthies. campaigns including distribution of pamphlets. literature. publicity etc.) Endo parasitic control medicine and other medicine will be provided/distributed in this camp to farmers. (Rs. 5000 per Camps)	75	7.50	7.50	NIL
	TOTAL		**27.50**	**27.50**	--

(D) Control of Exotic and Emergent Diseases (60% : 40%)

(Rs. in Lac)

Sl.No.	Activities/Description	Physical Target	Financial Requirement	C.S.	S.S.
1	Protective kits (PPE) and poly-pack, thermocol boxes and other supporting logistics @300 unit per district for 75 districts @rs. 1000/-	22500	225.00	135.00	90.00
2	Procurement of N-95 Masks @ Rs. 250/-	29860	74.65	44.79	29.86
3	Cost of sero surveillance & dispatch of serum sample to laboratories including cryovials. disposable syringes. vials VTM. ice gel packs. thermocole boxes including cost of supporting medicines. disinfectants. antiseptics and anesthetics and other expenses	20000 sero samples 20000 swabs @ Rs. 20000/- per district and Rs. 25000/- at HQs	15.25	9.15	6.10
4	Liquid Hand wash soap ISI mark @ Rs. 250/- per litre	10 liter/hospital for 2202 Veterinary Hospitals	27.53	16.52	11.01
5	Sodium hypochlorite solution and other disinfectants @Rs. 250/- per litre	10 liter/hospital for 2202 Veterinary Hospitals	55.05	33.03	22.02
	TOTAL		**397.48**	**238.49**	**158.99**

(E) Compensation to the farmers for killed Poultry due Avian influenza and Equines Euthanized due to glande disease- (60% : 40%)

(Rs. in Lac)

Sl.No.	Activities/Description	Financial Requirement	C.S.	S.S.
1	Compensation for killed Poulty due to Avian influenza -	20.00	12.00	8.00
2	Compensation for killed Horse, Donkey, Pony & Mules by glanders disease.	40.00	24.00	16.00
	TOTAL	**60.00**	**36.00**	**24.00**

(F) Endo Parasitic Control Programme (Financial Estimate)

(Rs. in Lac)

Sl. No.	Activities/Description	Animals to be covered (in lacs)	Required doses	Tentative Cost per dose(may be vary as per contract	Estimated Expenditure	C.S.	S.S.
1	Endo Parasitic Control one deworming with Broad Spectrum Anthelnentics (Albendozole/ Trichabendozole/ Fenbendozole etc.)	520.36	500.00 Lac	@ Rs. 15.00 per dose of 3gram per animal for one day	7500.00	4500.00	3000.00
	TOTAL				**7500.00**	**4500.00**	**3000.00**

उक्त कार्यकमों के कियान्वयन हेतु उपरोक्त आवंटन आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु निम्न दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

- मानक मद 04–यात्रा व्यय में आवंटित धनराशि से योजनान्तर्गत की गई यात्राओं में व्यय किया जाएगा। योजना के कार्यों के अतिरिक्त किया गया यात्रा व्यय का भुगतान वित्तीय नियमों का विचलन माना जाएगा।
- मानक मद 11–लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई में आवंटित धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई हेतु किया जाएगा।
- मानक मद 15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में आवंटित धनराशि का व्यय आवश्यकता अनुसार योजनान्तर्गत मोटर गाड़ी के कार्यों में किया जाय।
- मानक मद 18–प्रकाशन में आवंटित धनराशि का व्यय योजनानुसार प्रकाशित किये जाने वाले बुलेटिन एवं अन्य सामग्री के प्रकाशन हेतु आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- मानक मद 19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय मद में आवंटित धनराशि का व्यय विज्ञापन बिक्री और विख्यापन हेतु किया जाएगा।
- मानक मद 26–मशीन और सज्जा, उपकरण एवं संयंत्र मद में आवंटित धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- मानक मद 29–अनुरक्षण मद में आवंटित धनराशि का व्यय अनुरक्षण के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

- मानक मद 39—औषधि तथा रसायन में आवंटित धनराशि का उपयोग अन्तः पारजीवी नाशक दवाओं के क्रय हेतु किया जाएगा।
- मानक मद 42—अन्य व्यय में आवंटित धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत ब्लाक स्तर पर लगाये जाने वाले शिविरों हेतु रू0 5000.00 प्रति शिविर एवं जनपद स्तर पर प्रति रू0 5000.00 व्यय किये जाने का प्राविधान है। ग्लेण्डर्स एवं फार्सी रोग से पीड़ित अश्व प्रजाति के पशुओं की किलिंग हेतु प्रतिपूर्ति एवं बर्ड फ्लू रोग से ग्रसित पक्षियों की किलिंग की प्रतिपूर्ति अन्य व्यय में आवंटित धनराशि से किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में इस मद से व्यय नहीं किया जाएगा।
- मानक मद 43—सामग्री एवं सम्पूर्ति में आवंटित धनराशि का उपभोग योजनानुसार बर्ड फ्लू रोग की रोकथाम हेतु आवश्यक सामग्री जो कार्ययोजना में वर्णित है, यथा (पी0पी0ई0 किट एवं एन—95 मास्क) के क्रय हेतु किया जायेगा तथा सीरो सैम्पल हेतु प्रति जनपद रू0 20000.00 का आवंटन सीरो सैम्पल कार्यो हेतु किया गया है, जिसका उपयोग सीरो सैम्पल के कलेक्शन हेतु किया जाएगा।
- मानक मद 44—प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रसांगिक व्यय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्य हेतु किया जाएगा।
- योजना में सामग्री, उपकरणों, मशीनों आदि की औचित्यपूर्ण आवश्यकता के सापेक्ष क्रय प्राथमिकता के आधार पर Gem-Portal के माध्यम् से किया जाय। क्रय Gem-Portal पर एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित फर्मो व दर की सूची से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। किसी वस्तु की दरें अनुमोदित न होने की स्थिति में आकस्मिकता की दशा में ही, स्थानीय स्तर पर भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या--24/2020/279/18--2--2020--97(ल0उ0)/2016, दिनांक 19 जून, 2020 में प्रदत्त दिशा—निर्देशों का संज्ञान लेते हुए, क्रय करना सुनिश्चित करें।
- पारजीवीनाशक दवाओं की खुराक पशु अस्पताल के अन्तर्गत समस्त बड़े पशुओं (Large Animal) को आवश्यक रूप से टीकाकरण के पूर्व वर्ष में दो बार खिलायी जाय, तथा इसका विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाय।

अतः उपरोक्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजनानुसार समयबद्ध रूप से कार्यों को संचालित किया जाय।

भवदीय,
16/1/21

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्या /सा0—1/एक्स—120(4)/ASCAD-Genral/2021-22] तद्दिनांक:

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मानक मद 43—सामग्री एवं सम्पूर्ति, 46—कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय एवं 47—कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय में आवंटित धनराशि का व्यय योजनाधिकारी को संज्ञान में लाते हुए किया जायेगा।

2— संयुक्त निदेशक, मानकीकरण/रोग नियंत्रण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्यालय स्तर से औषधि तथा रसायन मद में आवंटित धनराशि का व्यय कार्य योजना अनुसार सुनिश्चित करें।

3— समस्त अपर निदेशक,ग्रेड—2 पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि उपरोक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रमों का अनुश्रवण सतत् रूप से करते रहें।

4— वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5— प्रमुख सचिव पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।